राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in 18

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1484 / 2015 / 15145 दिनांकः 17.12.2015

श्री सन्दीप कुमार,
म0न0 138, द्वितीय तल,
जमरूदपुर,
नई दिल्ली–110048.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)मु0 एवं
संयुक्त निदेशक (राजस्व)द0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री सन्दीप कुमार, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 31–08–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 17.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री सन्दीप कुमार, उपस्थित नहीं हुए एवं श्री रविन्द्र कुमार, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–III, ग्रेटर कैलाश जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 29.06.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसका जवाब नहीं मिलने के कारण यह अपील दिनांक 31.08.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि प्रस्तुत अपील गल्ती से दुबारा लगा दी गई । इस सम्बन्ण में आदेश अपील संख्या 1436 के अधीन जारी किया जा चुका है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री संन्दीप कुमार, म0न0 138, द्वितीय तल, जमरूदपुर, नई दिल्ली–110046.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0 / द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–III, ग्रेटर कैलाश ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi

प्रथम अपीलीय अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – I I : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1436 / 2015 / 12698-12703 दिनांकः 06.11.2015

श्री सन्दीप कुमार,
म0न0 138, द्वितीय तल,
जमरूदपुर,
नई दिल्ली–110048.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)मु0 एवं
संयुक्त निदेशक (राजस्व)द0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री सन्दीप कुमार, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 31–08–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 05.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री सन्दीप कुमार, उपस्थित हुए एवं श्रीमती प्रवीण कुमारी, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (मु0), जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुई । संयुक्त निदेशक (राजस्व)द0 / द0प0, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 29.06.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसका जवाब नहीं मिलने के कारण यह अपील दिनांक 31.08.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि सही उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। श्रीमती प्रवीण कुमारी, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (मु0) ने बताया कि मुख्यालय से सम्बन्धित जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान की जा चुकी है। क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–III ने सूचना प्रदान नहीं की है । यह सूचना थर्ड पार्टी से सम्बन्धित है । अतः जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि आर0टी0आई0 एक्ट के नियमों के अन्तर्गत थर्ड पार्टी सम्बन्धित प्रकिया का अनुपालन करते हुए सम्पूर्ण सूचना इस आदेश के पारित होने के बीस दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान करें ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री संन्दीप कुमार, म0न0 138, द्वितीय तल, जमरूदपुर, नई दिल्ली–110046.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0 / द0प0
3. संयुक्त निदेशक (राजस्व)–मु0
4. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (मु0)
5. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–III, ग्रेटर कैलाश ।
6. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi

प्रथम अपीलीय अधिकारी